भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1340

(जिसका उत्तर सोमवार 28 जुलाई, 2025 /6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विनियम

1340. **श्री राव राजेन्द्र सिंह:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) जैसे नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश में वीडीए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो लाभ पर 30 प्रतिशत कर और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सभी लेनदेन पर 1 प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को संशोधित करने की कोई योजना हैं;

(ग) क्या सरकार के पास उपरोक्त को मुख्यधारा के वित्तीय बाजारों में एकीकृत करने के लिए संबंधित वीडीए के लिए एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) शुरू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र में निवेशकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) सहित क्रिप्टो आस्ति क्षेत्र वर्तमान में भारत में गैर-विनियमित है। इसके बावजूद, सरकार ने 7 मार्च, 2023 की अधिसूचना के तहत क्रिप्टो आस्ति /वर्चुअल डिजिटल आस्ति (वीडीए) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के कार्यक्षेत्र में ला दिया है ताकि वीडीए से जुड़े लेनदेन पीएमएलए के दायरे में आ सकें। इसके अलावा, इन आस्तियों से होने वाली आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लगाया जाता है और वीडीए क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के

तहत विनियमित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टो आस्तियों में निवेश करने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी, 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में किए गए संशोधन के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में क्रिप्टो आस्तियों के अपने स्वामित्व (होल्डिंग) का प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।

(ख) से (ग): फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो आस्तियों के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आर्थिक, वित्तीय, प्रचालनात्मक, विधिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं सहित संभावित जोखिमों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा, आरबीआई ने 31 मई, 2021, के अपने परिपत्र के तहत अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह भी दी है कि वे वर्चुअल करेंसी में लेनदेन के लिए ग्राहक की यथोचित जाँच-पड़ताल (ड्यूडिलिजेंस) जारी रखें, जो कि "अपने ग्राहक को जानें" (केवाईसी), धन शोधन निरोधक (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायित्वों आदि के मानकों को शासित करने वाले नियमों के अनुरूप है।

*****